उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स अधिनियम, 1963

(1963 का अधिनियम सं0 29)

जैसा कि [सन् 1972 के संशोधन अधिनियम (अधिनियम 4, 1972)] द्वारा संशोधित।

(जैसा कि उत्तरप्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में होम गार्ड्स के संघटन की व्यवस्था करने के लिये

<u>अधिनियम</u>

प्रस्तावना यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स के नाम से एक बल के संघटन की व्यवस्था की जाये जिसकी सेवाओं का उपयोग आपातकाल में विभिन्न कर्तव्यों के लिये किया जा सके और वो शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल के सहायक के रूप में भी काम कर सके :-

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रसार और प्रारम्भ 1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2- विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में -

(क) जिला कमाण्डेण्ट का तात्पर्य किसी जिले में होम गार्ड्स के समादेशाधिकारी (Officer Commanding) से है,

(ख) होम गार्ड्स के रूप में ''कर्तव्य'' या ''सेवा'' के अंतर्गत इस रूप में प्रशिक्षण देना भी है;

(ग) असार्वजनिक सेवा के सम्बन्ध में ''सेवायोजक'' का तात्पर्य नियोजक से है, और इसके अंतर्गत उसका अधिकृत एजेन्ट या प्रबन्धक भी है, और निगम, फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (Association) की दशा में, इस के अंतर्गत उसका निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव या अन्य व्यक्ति भी है, जो किसी निर्दिष्ट समय में उसके कारोबार के संचालन के लिये प्रभारी हो या उसके प्रति उत्तरदायी हो,

(घ) ''अत्यावश्यक सेवाओं'' का तात्पर्य मोटर परिवहन, अग्रगामी एवं अभियंत्रण दल (pioneer and engineering corps), अग्निशामक बल (fire brigades), उपचार, प्राथमिक चिकित्सा बल एवं विद्युत सम्भरण अधिष्ठान का परिचालन और ऐसी अन्य सेवाओं से है, जो राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक जीवन के लिये अत्यावश्यक विज्ञापित की जायें;

(ङ) ''होम-गार्ड'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस रूप में भर्ती किया गया हो और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी भी हो;

(च) ''पुलिस'' का वही तात्पर्य होगा जो पुलिस ऐक्ट, 1861 में शब्द "police" के लिये दिया गया हो,

(छ) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है,

(ज) ''असार्वजनिक सेवा'' का तात्पर्य राज्य के अधीन सेवा से, और भिन्न किसी सेवा से है।

(झ)

(ञ) ''राज्य के अधीन सेवा'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 12 में यथापरिभाषित ''राज्य'' के अधीन सेवा से है और इसके अंतर्गत परिनियत निगमों के अधीन सेवा भी है,

(ट) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है और

(ठ) संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा निरसित

होमगार्ड्स का संघठन

3- उत्तर प्रदेश होम-गार्डस नाम से जिसे आगे ''होम गार्ड्स'' कहा गया है, एक स्वयंसेवक दल का निर्माण और अनुरक्षण किया जायेगा और ऐसी रीति से संगठित किया जायेगा जो नियत की जाय।

कृत्य

4- होम गार्ड्स के निम्नलिखित कृत्य होंगे -

(क) वे पुलिस बल के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे,

(ख) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक-समाज की सहायता करेंगे;

(ग) वे ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिये, जो नियत किये जायें, आपातकालीन दल के रूप में कार्य करेंगे;

(घ) वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिये कार्यात्मक इकाईयों की व्यवस्था करेंगे और

(ङ) वे लोक कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जायें।

कमाण्डेण्ट जनरल और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

5- राज्य सरकार, होम गार्ड्स के कमाण्डेण्ट जनरल, जिसे आगे ''कमाण्डेण्ट जनरल'' कहा गया है, और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तों पर नियुक्ति करेगी, जो नियत की जाये;

होम गार्डस का अधीक्षण और प्रशासन

6-(1) होम गार्ड्स का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा।

(2) सम्पूर्ण राज्य में होम गार्ड्स का प्रशासन कमाण्डेण्ट जनरल में निहित होगा, सिवाय किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसे राज्य सरकार एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा अपवर्जित कर दें, और इस प्रकार अपवर्जित किसी स्थानीय क्षेत्र के होम गार्ड्स का प्रशासन करने के लिये नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनका कमाण्डेण्ट जनरल, राज्य के शेष भाग में करें।

(3) जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुये किसी जिले में होमगार्ड्स का प्रशासन जिला कमाण्डेण्ट में निहित होगा जिले में होम गार्ड्स का और उसके द्वारा किया जायेगा।

भर्ती आदि

7-(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, कोई व्यक्ति जो होम गार्ड्स के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियत प्रपत्र में प्रार्थना पत्र देगा। यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवा में हो तो, उस प्राधिकारी के माध्यम से देगा जो उसे दल में सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिए सक्षम हो।

(2) होमगार्ड को औपचारिक रूप से भर्ती किया जायेगा और भर्ती हो जाने पर वह प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में घोषणा करेगा और द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र नियुक्ति का प्रमाण-पत्र पायेगा, जिस पर ऐसे अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होंगे, जो नियत किया जायें और जिसके आधार पर उसे होम गार्ड के अधिकारियों तथा विशेषाधिकारों से निहित किया जायेगा तथा उसे होमगार्ड के कर्तव्यों का पालन करना होगा।

(3) होमगार्ड्स के अधिकारी और अन्य सदस्य ऐसी वर्दी पहनेंगे जो नियत की जाये।

होमगार्ड्स को बुलाना

8- इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए -

(क) जिला मजिस्ट्रेट (या जिला कमाण्डेण्ट) आदेश द्वारा जिले में तैनात किसी इकाई से सम्बद्ध किसी होमगार्ड को जिले के भीतर किसी क्षेत्र में काम के लिए बुला सकता है,

(ख) होम गार्ड्स का कमाण्डेण्ट जनरल या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया जाय, किसी होमगार्ड को राज्य के किसी भाग में अथवा राज्य के बाहर काम के लिए बुला सकता है।

होम गार्डस के अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण 9- (1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये जब कोई होम गार्ड धारा-8 के अंतर्गत पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिए या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिए बुलाया जाये, तो उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हों, और ऐसे अनुमेलनों तथा परिस्कारों के अधीन रहते हुए जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उसमें करे, उस पर पुलिस ऐक्ट 1861 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक लागू होंगे मानों ऐसा होम गार्ड पुलिस बल में तदनुरूप पद धारण किये था जो वह तत्समय होम गार्ड में किये हुए हैं।

(2) होम गार्ड के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में उसके द्वारा किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी होम गार्ड के विरूद्ध कोई अभियोजन तब तक न चलाया जायगा जब तक कि उस क्षेत्र पर, जहॉ होम गार्ड भर्ती किया गया हो या जहॉ उक्त कार्य किया गया हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्टेट की पूर्व स्वीकृति न ले ली जाये।

10- इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाला होम गार्ड इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायगा।

स्पष्टीकरण - होम गार्ड के रूप में अपनी भर्ती होने के ही कारण होम गार्ड असैनिक पद धारण करने वाला समझा जायगा।

11-(1) होम गार्ड, एतदर्थ बनाये किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक होम गार्ड्स की किसी ऐसी इकाई में सेवा करने के लिए बाध्य होगा जिससे वह तत्समय सम्बद्ध हो।

(2) आरम्भिक अवधि, जिसमें होम गार्ड्स से सेवा करने की अपेक्षा की जा सकती है, उसकी भर्ती के दिनांक से तीन वर्ष होगी। यह अवधि उसकी नियत रीति से लेखबद्ध सहमति से बढ़ायी जा सकती है।

(3) प्रत्येक होम गार्ड, जब वह नियत रीति से काम के लिये बुलाया जाय, राज्य के किसी भाग में सेवा करने के लिए बाध्य होगा। किसी भी होम गार्ड से राज्य के

बाहर सेवा करने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि उसने ऐसी सेवा के लिये नियत रीति से अपनी सहमति न दे दी हो।

(4) काम के लिये बुलाये गये होम गार्डों को ऐसा दैनिक भत्ता दिया जायेगा जो नियत किया जाय।

(5) होम गार्डों को साधारणतया उन क्षेत्रों में जहॉ वे भर्ती किये गये हों सेवा करने के लिये और केवल अंशकालिक काम के लिये बुलाया जायेगा।

12- (1) कमाण्डेण्ट जनरल या एतदर्थ नियत कोई अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होम गार्ड्स के किसी सदस्य को सेवोन्मुक्ति या निलम्बित करने का अधिकार होगा। कोई होम गार्ड ऐसे अधिकारी को, जो नियत किया जाय, एक मास का नोटिस देकर दल से त्याग पत्र दे सकता है।

(2) अन्तिम पूर्वगत उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक होम गार्ड धारा-11 की उपधारा(2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर होम गार्ड्स से अपनी सेवोन्मुक्ति पाने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारण से होम गार्ड्स का सदस्य न रह जाय, कमाण्डेण्ट जनरल को या ऐसे अधिकारी को ऐसे स्थान पर जो नियत किया जाय या जिन्हें कमाण्डेण्ट जनरल निदेशित करें, अपनी नियुक्ति का प्रमाण-पत्र और शस्त्रास्त्र, साजसज्जा, वस्त्र और अन्य वस्तुएं, जो उसे ऐसे सदस्य के रूप में दिये गये हों, तुरन्त लौटा देगा।

(4) कोई मजिस्ट्रेट, इस प्रकार से लौटाये गये किसी प्रमाण-पत्र, शस्त्रास्त्र, साजसज्जा, वस्त्र या अन्य वस्तुओं की, जहॉ जहॉ भी वे पाये जायें, तलाशी लेने और उन्हे अधिगृहीत करने के लिये वारंट जारी कर सकता है। इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारंट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 के उपबन्धों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा, अथवा यदि वारंट जारी करने वाला मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, निष्पादित किया जायगा।

(5) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी वस्तु पर लागू न समझी जायगी जो कमाण्डेण्ट जनरल के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन उस व्यक्ति की सम्पत्ति हो गयी हो जिसे वह दी गयी थी।

शास्तियां **13- (1)** यदि कोई होम गार्ड-

(क) धारा-8 के अधीन काम पर बुलाये जाने पर उपस्थित न हो, या

(ख) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी (Superior officer) या अन्य सक्षम अधिकारी के किसी वैध आदेश या निदेश का बिना पर्याप्त कारण के पालन करने में उपेक्षा करे या इन्कार करे या जब वह काम पर हो तो होम गार्ड्स सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन न करे, या

(ग) अपना पद अभित्यक्त कर दे, या

(घ) कायरता का दोषी हो, या

(ङ) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ अननृमत शारीरिक बल प्रयोग करे,

तो वह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास की अवधि तक का हो सकता है या अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर धारा-12 की उपधारा (3) का पालन करने में उपेक्षा करें या उसका पालन न करे, तो वह सिद्ध दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास तक का हो सकता है या अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा।

(3) कमाण्डेण्ट जनरल या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो एतदर्थ नियत किया जाय, पूर्व स्वीकृति के बिना, उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई अभियोजन न चलाया जायेगा।

(4) (जिला कमाण्डेण्ट) के प्रतिवेदन पर, पुलिस अधिकारी किसी वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उपधारा (1) या (2) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त हो।

(5) जब अधिकारी से भिन्न होम गार्ड्स का सदस्य उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, तो (जिला कमाण्डेण्ट) या ऐसा अधिकारी, जो नियत किया जाय, जिसके अधीन उक्त सदस्य तत्समय काम कर रहा हो, यह निदेश दे सकता है कि दोषारोपण पर औपचारिक सुनवाई के बिना कार्यवाही की जायेगी।

और तदुपरांत उक्त कमाण्डेण्ट या अन्य अधिकारी उसे निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात-

(क) दो दिन से अनधिक अवधि के लिये ऐसे स्थान पर अवरोध जो उपयुक्त समझा जाय,

(ख) सात दिन से अनधिक अवधि के लिये क्वार्टरों में अवरोध सहित या अवरोध रहित दण्ड स्वरूप कवायद (ड्रिल), अतिरिक्त कार्य, कठोर परिश्रम (फेटीग) या अन्य काम और

(ग) भत्तों की जब्ती।

होमगार्ड को कार्य ग्रहण करने की अनुमति देने

14- (1) उस स्थिति के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय प्रत्येक सेवायोजक ऐसे होम गार्ड को जो तत्समय उसके

पर सेवायोजक की आपत्ति

द्वारा या उसके अधीन सेवायोजित किया जा रहा हो, होमगार्ड के रूप में अपना कार्य ग्रहण करने की अनुमति देगा और किसी प्रचलित विधि या ऐसे अनुबन्ध में जो उसके और ऐसे होम गार्ड के बीच हो, किसी बात के होते हुए भी उसकी कार्य अवधि, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जायें, ऐसे सेवायोजन में व्यतीत की गयी अवधि समझी जायगी।

(2) कोई भी सेवायोजक किसी कर्मचारी को उसके होम गार्ड्स का सदस्य होने के कारण न तो पदच्युत करेगा, न हटायेगा, न उसे निलम्बित करेगा और न कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जो ऐसे कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

(3) जो कोई उपधारा (1) या (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायगा जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है और जिस न्यायालय द्वारा सेवायोजक इस धारा के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाय वह सेवायोजक को यह भी आदेश दे सकता है कि वह उक्त कर्मचारी को उस दर पर, जिस पर उसका अन्तिम पारिश्रमिक सेवायोजक द्वारा उसे देय था या तीन मास से अनधिक के पारिश्रमिक का भुगतान कर और भुगतान किये जाने के लिये न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिये गये आदेश की कोई धनराशि उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थ दण्ड हो।

(4) इस धारा की कोई बात किसी सेवायोजक पर तब तक लागू न होगी जब तक उसने कि सम्बद्ध कर्मचारी का होमगार्ड्स के सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिये प्रार्थना पत्र आगे न बढ़ाया हो, या कर्मचारी ने उसको सेवायोजन के लिये प्रार्थना पत्र देते समय होमगार्ड्स का सदस्य होने की सूचना न दे दी हो।

नियम और विनियम

बनाने का अधिकार

15- (1) राज्य सकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए और इसके उपबन्धों को सामान्यतया प्रभावी बनाने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है या उन्हें विनियमित किया जा सकता है, अर्थात -

(क) होम गार्डों का संघठन, उनकी अर्हतायें, भर्ती की रीति, स्वास्थ्य परीक्षा, कृत्य, अनुशासन, सत्राशस्त्र साजसज्जा, वस्त्र और वर्दी और रीति के अनुसार वे सेवा के लिये बुलाये जाय या उनसे प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जाय,

(ख) धारा-9 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए होम गार्डों द्वारा पुलिस अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करना और होम गार्डों तथा पुलिस कर्मचारियों के बीच पदों की अनुरूपता,

(ग) शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके किसी विशेष उपबन्धों के अधीन किसी आभार या दायित्व से मुक्त किया जा सकता है,

(घ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों और कृत्यों का कमाण्डेण्ट जनरल और अन्य प्राधिकारियों को प्रतिनिधान, और

(ङ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो या जो नियत किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार को कोई परिष्कार या अभिशून्य न सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

प्रथम अनुसूची

[धारा 7(2)]

<u>घोषणा का प्रपत्र</u>

मैं.....आत्मज.....निवासी .....एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स के सदस्य के रूप में जिसके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को मैंने पूरी जानकारी से ग्रहण किया है भर्ती किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गयी अवधि भी है (यह अवधि मेरी सहमति से राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी जा सकती है), वस्तुतः सेवा करूंगा और मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं बढ़ायी गयी अवधि में उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स के सदस्य के रूप में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर सेवा करूंगा, यदि मुझे ऐसी अवधि में काम पर बुलाया गया। मैं होमगार्ड्स के सदस्य के कर्तव्यों का पालन पूरी दक्षता और जानकारी से करूंगा और अपने जीवन का जोखिम होते हुए भी सदैव भारतीय संविधान तथा राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा की लिये उद्यत रहूंगा।

.....

हस्ताक्षर

पता .....

.....

द्वितीय अनुसूची

[धारा 7(2)]

<u>नियुक्ति के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र</u>

मैं.....आत्मज.....निवासी .....को उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम 1963 की धारा 7 (2) के अधीन उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। जब वह वैद्यतः काम पर हो तो पुलिस के सहायक के रूप में सेवा करने या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिये बुलाये जाने पर, उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस के तदनुरूप पद के किसी अधिकारी को प्राप्त हों और ऐसे अनुकूलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार उसमें करे उस पर पुलिस ऐक्ट, 1861 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

नियुक्ति का दिनांक .....

स्थान.....

दिनांक .....

नियत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर